"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

सत्यमेव जयते

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26 -अ] रायपुर, शुक्रवार दिनांक 1 फरवरी 2002 माघ 12, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 फरवरी 2002

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-2/2001/ वा.क./ पांच (8)—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 27 की उपधारा (9) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 326/641/वा.क./पांच/2001 दिनांक 1-3-2001 में निम्नानुसार संशोधन करती है :-

संशोधन

(1) अधिसूचना में शब्द "31 जनवरी 2002" के स्थान पर शब्द "30 अप्रैल 2002" प्रतिस्थापित किये जायेंगे.

(2) अधिसूचना में व्यवसायियों की सूची में अनुक्रमांक (7) व (8) विलोपित किये जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के, राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर दिनांक 1 फरवरी 2002

क्रमांक एफ-10-2/2001/वा.क./पांच.(8)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. - 10-2/2001/वा.क./पांच (8), दिनांक 1-2-2002 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur the 1st February 2002

NOTIFICATION

No. F - 10-2/2001/CT/V(8)— In exercise of the powers conferred by sub-section (9) of Section 27 of Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No.5 of 1995), the State Government hereby makes the following amendments in this departmental notification No. 326/641/CT/V/2001, dated 1-3-2001 namely :-

AMENDMENTS

1. In the Notification for words "31st January 2002, words " 30th April 2002", shall be substituted.
2. In the list of the dealers in the Notification, S.No.(7) and (8) shall be deleted.

Br order and in the name of the Governor the Chhattisgarh,
K.R. MISRA, Deputy Secretary.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2002.